नेशनल लोक अदालत दिनांक : 12/11/2016

वादी सहित श्री पी.एन.भटेले अधिवक्ता।
प्रतिवादी 01 लगायत 04 सहित श्री आर.बी.दौदेरिया अधि.।
प्रतिवादी क्रमांक 05 मध्यप्रदेश राज्य अनिर्वाहित।
प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में उभय पक्ष द्वारा
प्रस्तुत राजीनामा दिनांक : 10/11/2016 पर विचार हेतु
नियत है।

विगत नियत तिथि 10/11/2016 को वादी बेदराम तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 शोभाराम, मुन्नालाल, रामकेत उर्फ रामकेश एवं नरेन्द्र ने उनके अधिवक्तागण श्री पी.एन.भटेले एवं आर.बी.दौदेरिया के साथ उपस्थित होकर उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया था। वादी की पहचान श्री पी.एन.भटेले अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 की पहचान श्री आर.बी. दौदेरिया अधिवक्ता द्वारा की गई है।

पूर्व नियत तिथि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 के राजीनामा कथन अंकित किये गये थे।

प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 04 के राजीनामा कथन एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन का अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 ने उसके राजीनामा कथन में यह व्यक्त किया है कि उनका वादी बेदराम से राजीनामा हो गया है। उक्त वादी बेदराम प्रतिवादी कुमांक 01 की पहली पत्नी रूकमाबाई से उत्पन्न पुत्र है तथा प्रतिवादी कुमांक 02 लगायत 04 का भाई है। राजीनामा बिना किसी भय, दबाब या प्रलोभन के स्वेच्छयापूर्वक किया गया है। उक्त राजीनामा उसके द्वारा दिनांक 10/11/2016 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। राजीनामा के अनुसार प्रकरण में वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 250 क्षेत्रफल 0.590 हैक्टेयर स्थित ग्राम कल्यानपुरा में से नकटी वाला खेत नामक खेत जिसका क्षेत्रफल 0.52 हैक्टेयर है, पर प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 उनका दावा वादी बेदराम के पक्ष में त्याग रहे है। प्रतिवादी कुमांक 01 लगायत 04 का यह भी कहना है कि उनका वादग्रस्त भृमि सर्वे क्रमांक 250 क्षेत्रफल 0.590 हैक्टेयर के वादी को प्रदत्त 0.52 हैक्टेयर से कोई संबंध नहीं रहेगा एवं उक्त 0.52 हैक्टेयर वादग्रस्त भूमि में वादी के अधिकारों में प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 कोई हस्तक्षेप नहीं करेगें।

उपरोक्त राजीनामे के आलोक में वादी का वाद वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 250 के क्षेत्रफल 0.590 हैक्टेयर में से नकटी वाले खेत नामक खेत क्षेत्रफल 0.52 हैक्टेयर भाग के संबंध में डिकी किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वेच्छया, बिना किसी भय दबाब या प्रलोभन के तथा स्वतंत्र सम्मति से किया गया प्रतीत होता है। उभयपक्ष द्व ारा प्रस्तुत राजीनामा संविदा विधि या किसी विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में या विपरीत नही है। फलतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता हैं और वादी का वाद स्वीकार कर अग्रानुसार आज्ञप्त किया जाता है।

उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामें के आलोक में वादी बेदराम को वादग्रस्त भूमियों में से वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 250 क्षेत्रफल 0.590 हैक्टेयर स्थित ग्राम कल्यानपुरा में से नकटी वाला खेत नामक खेत जिसका क्षेत्रफल 0.52 हैक्टेयर है, का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 04 को स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है कि वह वादी के सर्वे कमांक 250 क्षेत्रफल 0.590 हैक्टेयर स्थित ग्राम कल्यानपुरा में से नकटी वाला खेत नामक खेत जिसका क्षेत्रफल 0.52 है, के आधिपत्य एवं कृषि कार्य में अवैध रूप से कोई बाधा उत्पन्न ना करें।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति निर्मित की जाये।

वादी बेदराम एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 10/11/2016 तथा आज दिनांक 12/11/2016 की इस प्रकरण की आदेश पत्रिका आज्ञप्ति का अभिन्न भाग होगीं।

उभयपक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें।

अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दौनों में से जो भी कम हो देय होगा।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी ''अ'' में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेशित किया जाये।

01. राकेश गुप्ता अधिवक्ता (सदस्य)

(पंकज शर्मा) <u>पीठासीन अधिकारी लोक अदालत</u> जिला भिण्ड

02.. ए.बी. पाराशर अधिवक्ता (सदस्य)